



केन्द्रीय विद्यालय अलीराजपुर

KENDRIYA VIDYALAYA ALIRAJPUR

An Autonomous Organisation under The Ministry of Education Govt of India

शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर, ग्राम-खडखडी, अलीराजपुर (म.प्र.) 457887

Govt.Polytechnic College Campus,Village -Khadkhadi, Alirajpur, (MP) 457887

दूरभाष-(07392)243010, (का) 6350426069,

E-Mail-kvalirajpur01@gmail.com,ppl.alirajpur@kvs.gov.in

Website-https://alirajpur.kvs.ac.in

F.No. /KVA/2024-25/ 792

दिनांक - 17/01/2025

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक: फा.11-55/2000-केविसं (सतर्कता)/पार्ट-1 दिनांक 03.06.2015 एवं आदेश क्रमांक फा.11-55/2000- केविसं (सतर्कता)/पार्ट-1/1122-25 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा-4 (2) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय अलीराजपुर के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु "आंतरिक शिकायत समिति" (Internal Complaint Committee) का पुनर्गठन किया जाता है।

क्रं	समिति में पारित पद	सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित	Jurisdiction
1	Presiding Officer	Smt. Ketki Karanjgaonkar, PRT(Music), KV Alirajpur	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Kendriya Vidyalaya Alirajpur he up to the level of Section Officer (excluding Finance Officer) and against Principals, Vice Principals & IIMs of Bhopal Region.
2	Female Member	MS. Shalu Yadav, PRT, KV Alirajpur	
3	Male Member	Mr. Ashutosh Sharma, TGT(Maths) KV Alirajpur	
4	External Member	Smt. Vijaya Tomar PGT(Hindi) JNV, Alirajpur	

टिप्पणी :-1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

2. सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जायेगा, जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।

3. "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" / "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013" के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समिति अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।


प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय अलीराजपुर

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय, अलीराजपुर
Kendriya Vidyalaya, Alirajpur

वितरण :-

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्र. कार्या. भोपाल।
3. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति केन्द्रीय विद्यालय अलीराजपुर।